बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। अधिसूचना ।।

दिनांक– 28.10.2026

संख्या–09 / नि॰फ॰बी॰को॰(PMFBY)–21 / 2026 11450 / सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–5949 दिनांक 10.06.2026 द्वारा बिहार राज्य में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** को **वित्तीय वर्ष 2026–27 के रबी मौसम** से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3 (ठ) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7559 दिनांक–21.07.2026 द्वारा PMFBY के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI)** गठित है। **SLCCCI** की बैठक दिनांक–31.07.2026 एवं दिनांक–06.10.2026 में लिये गये निर्णय के आलोक में रबी 2026–27 मौसम हेतु PMFBY का निम्नरूपेण क्रियान्वयन किया जा सकेगा :–

1. **योजना का संचालनः**– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन तथा संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) (www.pmfby.gov.in) विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी हितधारकों जैसे किसानों, राज्यों, बीमा धारकों तथा बैंकों के बीच बेहतर प्रशासन तथा समन्वयन के साथ–साथ अद्यतन सूचनाओं का प्रसार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस समेकित पोर्टल के माध्यम से योजनान्तर्गत किसानों का आच्छादन, भूमि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, उपज दर आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्त्ति का आकलन तथा क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

2. **वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Alternative Risk Management Mechanism):-** राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों तथा योजनान्तर्गत अधिसूचित किए जाने वाले फसलों का ऐतिहासिक उपज दर आंकड़ों के आधार पर निविदा के माध्यम से निम्न मॉडल में से चयनित किसी एक मॉडल के अनुसार योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा :–

(i) **Cup & Cap 80-110** :– इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम राशि का 110 प्रतिशत तक क्षतिपूर्त्ति का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान कुल प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित किसानों को क्षतिपूर्त्ति के उपरांत शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को वापस की जाएगी। कुल प्रीमियम राशि का 110 प्रतिशत से

अधिक क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान की स्थिति में किसानों को अतिरिक्त क्षतिपूर्त्ति राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) **Cup & Cap 60-130 :-** इस मॉडल में एक क्लस्टर में कुल प्रीमियम राशि का 130 प्रतिशत तक क्षतिपूर्त्ति का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। कुल प्रीमियम राशि का 60 प्रतिशत से कम क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा शेष राशि राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समान रूप से वापस की जाएगी एवं 130 प्रतिशत से ज्यादा क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान के स्थिति में इसका वहन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समान रूप से किया जाएगा।

3. **अतिरिक्त जोखिम कारक (Additional Risk factor) :-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल उत्पादन में ह्रास के फलस्वरूप हुई क्षति की भरपाई के अतिरिक्त जोखिम कारक के तहत local calamities के रूप में ओला (hailstorm) को Add-on coverage के रूप में निविदा के पश्चात् शामिल किये जाने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

4. **तकनीक आधारित फसल कटनी प्रयोग का सम्पादन** :– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के परिचालन दिशानिर्देशों के आलोक में फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन Smart Sampling Technique के माध्यम से करने के साथ–साथ SLCCCI द्वारा चयनित होने वाले 05 जिलों में Technology Based Yield Estimation System/Weather Information and Network Data System (YES-Tech/WINDS) द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा, जिसमें 70% weightage फसल कटनी प्रयोगों तथा 30% weightage YES-TECH को दिया जाएगा।

5. **प्रीमियम** :– रबी मौसम में खाद्यान फसलों यथा गेहूँ/मक्का/दलहन/तेलहन आदि के लिए किसानों का प्रीमियम बीमित राशि का 1.5% एवं वाणिज्यिक/बागबानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% निर्धारित है। Cup & Cap 60-130 मॉडल अन्तर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम एवं फसलवार वास्तविक प्रीमियम की दर (निविदा के माध्यम से) के बीच अंतर समान रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। Cup & Cap 80-110 मॉडल अन्तर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम एवं फसलवार वास्तविक प्रीमियम की दर (निविदा के माध्यम से) के बीच अंतर राशि समान रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. **थ्रेसहोल्ड उपज दर की गणना** :– थ्रेसहोल्ड उपज दर के संशोधित सूत्र (Formula) के अनुसार थ्रेसहोल्ड उपज दर विगत सात (07) वर्षों में से पांच (05) उच्च उपज दर वाले वर्षों का औसत एवं इन्डेम्निटी (80 प्रतिशत) का गुणनफल होगा।

7. **अधिसूचित फसल एवं अधिसूचित क्षेत्र (बीमा इकाई)** :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1263 दिनांक–15.09.2026 द्वारा प्राप्त इकाईवार आयोजन सूची (परिशिष्ट–1) के आलोक में रबी मौसम के फसलों को योजनान्तर्गत निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :–

फसल	जिलों की संख्या	अधिसूचित क्षेत्र/बीमा इकाई	जिला का नाम
गेहूँ	38	पंचायत स्तरीय	सभी आच्छादित ग्राम पंचायत में
रब्बी मकई	29	पंचायत स्तरीय	पटना, नालंदा, गयाजी, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा. पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार
ईख	12	पंचायत स्तरीय	लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, प० चम्पारण, बेगूसराय, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बांका
अरहर	16	जिला स्तरीय	पटना, कैमूर (भभुआ), गयाजी, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई एवं बांका
राई–सरसों	37	जिला स्तरीय	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया किशनगंज एवं कटिहार
मसूर	34	जिला स्तरीय	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया किशनगंज एवं कटिहार
चना	17	जिला स्तरीय	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर एवं बांका

फसल	जिलों की संख्या	अधिसूचित क्षेत्र/बीमा इकाई	जिला का नाम
आलू	15	जिला स्तरीय	पटना, नालंदा, भोजपुर, गयाजी, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल
रबी बैंगन	12	जिला स्तरीय	बेगूसराय, प० चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, गयाजी, वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार
रबी टमाटर	10	जिला स्तरीय	पटना, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, गयाजी, मुजफ्फरपुर, लखीसराय एवं बेगूसराय
रबी प्याज	15	जिला स्तरीय	नालंदा, प० चम्पारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, गयाजी, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय, पटना, किशनगंज एवं अररिया
रबी मिरचाई	12	जिला स्तरीय	बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, नालंदा, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पटना एवं अररिया
रबी गोभी	11	जिला स्तरीय	समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, मधेपुरा, बांका, बेगूसराय एवं सिवान
आम	19	जिला स्तरीय	प० चम्पारण, भागलपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सिवान, सुपौल, बांका, सारण, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार, गोपालगंज एवं बक्सर
लीची	10	जिला स्तरीय	मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूवी चम्पारण, भागलपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, बेगूसराय, प० चम्पारण एवं कटिहार
केला	10	जिला स्तरीय	वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णियाँ एवं पूर्वी चम्पारण
कटहल	10	जिला स्तरीय	प० चम्पारण, समस्तीपुर, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, वैशाली, सिवान, कटिहार, गोपालगंज एवं पूर्णियाँ
अमरूद	09	जिला स्तरीय	कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, सिवान, वैशाली, प० चम्पारण, पूवी चम्पारण, भागलपुर एवं पूर्णियाँ

8. **आच्छादित किसान** :– अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) निम्नवत् योजना में सम्मिलित हो सकेगें–

(i) **ऋणी कृषक**– ऐसे सभी कृषक जो मौसमी कृषि परिचालन अंतर्गत किसी–न–किसी वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स) से

के॰सी॰सी॰ के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त करते हों, को ऋणी कृषक के रूप में संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा आच्छादन किया जाएगा। ऐसे ऋणी किसान जो संबंधित वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप अधोमानक (Substandard) के॰सी॰सी॰/फसली ऋण के श्रेणी में है, को योजनान्तर्गत बीमा आच्छादन नहीं किया जायेगा, तथापि ऐसे कृषकों को गैर ऋणी कृषकों की भाँति अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सभी ऋणी कृषकों हेतु आधार आवश्यक होगा।

यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा।

(ii) **गैर ऋणी कृषक**– ऐसे सभी कृषक (रैयत श्रेणी) जो किसी वित्तीय संस्थान से अल्पकालीन ऋण प्राप्त नहीं करते है, वे स्वैच्छिक आधार पर अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। ऐसे कृषकों को Agri Stack अंतर्गत निबंधन कराते हुए उन्हें Farmer ID प्राप्त करना आवश्यक होगा। इच्छुक किसान बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/वसुधा केन्द्र (CSC)/सीधे फसल बीमा पोर्टल/Crop Insurance App पर ऑनलाइन बीमा करा सकेंगे। बीमा कराते समय कृषकों के आधार नम्बर के साथ ही मोबाइल नम्बर, बैंक खाते का विवरण एवं स्वप्रमाणित फसल बुवाई से सम्बन्धित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

(iii) **बटाईदार/किरायेदार (गैर रैयत) कृषक**– ऐसे सभी कृषक जो वास्तविक खेतिहर के रूप में किसी अन्य के रैयती भूमि पर खेती करते हों, स्वघोषणा– पत्र निर्धारित प्रपत्र में (किसान सलाहकार अथवा वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित) जिसमें भूमि की विवरणी (खाता/खेसरा/पलॉट नम्बर के साथ) अवश्य अंकित किया गया हो, के आधार पर गैर ऋणी कृषक के रूप में बीमा आच्छादन किया जाएगा। ऐसे इच्छुक किसान निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/वसुधा केन्द्र (CSC)/ फसल बीमा पोर्टल/ Crop Insurance App के माध्यम से ऑनलाइन बीमा

करा सकेंगे। बीमा कराते समय कृषकों के आधार नम्बर के साथ ही मोबाइल नम्बर, बैंक खाते का विवरण एवं स्व–घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा।

9. ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार/किरायेदार (गैर रैयत) कृषक किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित/बीमित फसल के स्थान पर अन्य कोई फसल बोए जाने की स्थिति में फसल में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि के दो कार्य दिवस के पूर्व तक सम्बन्धित संस्था यथा बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/वसुधा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल, जिसके माध्यम से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है, से फसल में परिवर्तन करा सकते है। ऐसे कृषकों को संशोधित फसल के अनुरूप प्रीमियम के अन्तर की राशि (कम प्रीमियम की देयता की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अधिक लिये गये प्रीमियम को वापस कर दिया जायेगा) भुगतान एवं फसल में परिर्वतन की सूचना बीमा कम्पनी देना आवश्यक होगा।

10. रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाला प्रीमियम दर, निम्नरूपेण है :–

फसल	बीमित राशि (रु0/हे॰)	किसानों का देय प्रीमियम की राशि (रुपया) प्रति हेक्टेयर	इन्डेम्निटि स्तर (%)
गेहूँ	89352	1340	80
अरहर	80890	1213	80
मक्का	104533	1568	80
राई–सरसों	66003	990	80
चना	79020	1185	80
मसूर	66211	993	80
ईख	205375	10269	80
टमाटर	59280	2964	80
बैगन	59280	2964	80
गोभी	59280	2964	80
आलू	121030	6052	80
प्याज	49400	2470	80
मिरचाई	59280	2964	80
आम	170430	8522	80

फसल	बीमित राशि (रु0/हे0)	किसानों का देय प्रीमियम की राशि (रुपया) प्रति हेक्टेयर	इन्डेम्निटि स्तर (%)
लीची	190190	9510	80
कटहल	170430	8522	80
केला	244036	12202	80
अमरूद	209950	10498	80

11. क्लस्टर का गठन – भारत सरकार के परिचालन निर्देशों के तहत योजना का कार्यान्वयन कार्यभारित किए गए बीमा कम्पनियों के माध्यम से निम्नरूपेण क्लस्टर के अनुसार किया जाएगा :–

क्लस्टर	जिलों का नाम
1.	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं दरभंगा।
2.	वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया एवं मुजफ्फरपुर।
3.	किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल।
4.	नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर एवं बांका।
5.	पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद।

12. योजनान्तर्गत फसलों की क्षति का आंकलन बीमा इकाई स्तर पर किया जायेगा। स्थानिक आपदाओं में व्यक्तिगत कृषक के खेत को बीमा की इकाई के रूप में मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा। स्थानीय आपदा (ओला) से फसलों की क्षति की स्थिति में क्षति के आंकलन की प्रक्रिया व देय क्षतिपूर्ति भारत सरकार के परिचालन दिशा–निर्देश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

13. कृषकों से प्राप्त प्रीमियम एवं बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आच्छादन से संबंधित विवरण को पोर्टल पर निम्नरूपेण अपलोड किया जाएगा :–

i. अग्रणी/प्रशासनिक/नियंत्रक बैंक द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं को योजना से सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे तथा बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण

यथा–बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक की श्रेणी (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य/महिला), बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर का विवरण को अनिवार्य रूप से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

ii. नोडल बैंक/पैक्स, वसुधा केन्द्र तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा आच्छादन से संबंधित विवरण को अपलोड करने पर ही कृषक नियमानुसार बीमा आच्छादन हेतु पात्र होगा एवं तदालोक में ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की राशि की विमुक्ति की जायेगी।

iii. नोडल बैंक/पैक्स, वसुधा केन्द्र तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ द्वारा की गयी त्रुटियों/गलतियों/विलोपनों के कारण किसान के फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था द्वारा ही कृषकों की हानि की भरपाई करेगी।

iv. नोडल बैंक/पैक्स, वसुधा केन्द्र तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ द्वारा योजना में सम्मिलित होने वाले ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। बीमा एजेन्ट एवं वसुधा केन्द्र द्वारा कृषकों के "आधार" विवरण के आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर आनलाईन बीमा किया जायेगा। आनलाईन बीमा के समय ही आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। अभिलेख पठनीय होना आवश्यक है। फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किये जाने में बीमा कम्पनी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

v. ऋणी किसानों को अपनी बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक शाखा को अवगत कराना होगा। यदि ऋणी कृषक का बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक को बैंक द्वारा अनिवार्य बीमा आच्छादन से हटा (Remove) दिया जायेगा।

vi. बैंक द्वारा यदि गलती से ऐसे ऋणी कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करके योजना में कवर किया जाता है, जो योजना में शामिल नहीं होने (Opting out) के

सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है तो ऐसी स्थिति में बैंक शाखा द्वारा प्रीमियम की राशि कृषक के खाते में वापस की जायेगी तथा यदि क्षतिपूर्ति बनती है तो 30 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति की राशि बैंक शाखा द्वारा बीमा कम्पनी को वापस की जायेगी।

vii. कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (Opting out) एवं प्रतिभागिता करने (Opting in) के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र उसी बैंक शाखा में दिया जायेगा, जहाँ से कृषक का के॰सी॰सी॰ खाता बना है।

viii. नये के॰सी॰सी॰ बनाने के समय एवं पुराने के॰सी॰सी॰ को नवीनीकृत (Renew) करने के समय बैंक सम्बन्धित किसान को फसल बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में जानकारी देगी। बैंक प्रचार–प्रसार करके ऋणी कृषकों को बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में अवगत करायेगी।

ix. वित्तीय संस्थाओं द्वारा मौसमी परिचालन में कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी/उल्लिखित अंतिम तिथियों तक कृषकों के प्रीमियम की राशि व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक के आच्छादन से संबंधित विवरण को अपलोड करने व पोर्टल के माध्यम से बीमित कृषकों के मोबाइल नं0 पर एस॰एम॰एस॰ द्वारा अवगत कराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

x. कृषकों, जिनका "आधार" नम्बर उपलब्ध नहीं हैं, द्वारा भी योजनान्तर्गत आधार नम्बर हेतु पंजीकरण के विवरण के साथ अपनी फसल का बीमा इस शर्त के साथ कराया जा सकेगा, कि उनके द्वारा आधार नम्बर का विवरण एक माह में सम्बन्धित संस्था को बीमा कम्पनी को प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिनके माध्यम से बीमा कराया गया है।

xi. बीमा कम्पनी द्वारा बीमा आच्छादन से संबंधित विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति – प्राकृतिक आपदाओं यथा– सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से हुई क्षति

का आंकलन मौसम के अन्त में बीमा इकाई (जिला/ग्राम पंचायत) में अधिसूचित खड़ी फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः–

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

थ्रेसहोल्ड उपज– भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार बीमा इकाई (जिला/ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड उपज फसल की विगत 07 वर्षों में से 05 सर्वाधिक उपज वाले वर्षों की औसत उपज को फसल की इण्डेम्निटी स्तर से (80 प्रतिशत) गुणा करके आंकलित किया जायेगा।

प्रक्रिया–(क) योजना में बीमा इकाई (जिला/ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को आपदा से समान रूप से प्रभावित मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा।

बीमा इकाई (जिला/ग्राम पंचायत) क्षेत्र में अधिसूचित फसलों पर मौसम के अन्त में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन सांख्यिकी विधि से चयनित खेतों में कराया जायेगा।

(ख) फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु फसलों की कटाई स्तर पर अधिकाधिक प्रयोगों की जाँच जिला स्तर पर सुनिश्चित करायी जायेगी। फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का जिला के कार्यभारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा। जिला स्तर पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों द्वारा बीमा कम्पनी को इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(ग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा अधिसूचित फसलों पर आयोजित किये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया, फसल की दशा सम्बन्धित चित्र, चयनित खेत की भू–स्थिति की सूचनाओं के साथ उपज के आकड़े फसल बीमा ऐप के माध्यम से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(घ) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्राप्त उपज के आँकड़ों को संकलित/विश्लेषित करने के उपरान्त फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे तथा बीमा कम्पनी द्वारा अपलोड किये गये आँकड़ों को स्वीकार/अस्वीकार किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित समय सारिणी–

क्रम सं0	कार्यकलाप	रबी	कार्य की जिम्मेवारी
1	योजना का प्रचार प्रसार	01 नवम्बर से	राज्य सरकार एवं बीमा कम्पनी
2	किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने की समयावधि	15 नवम्बर से 15 जनवरी तक	बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द्र
3	बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द/बीमा एजेन्ट द्वारा ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की अंतिम तिथि	15 जनवरी तक	बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द्र
4	बैंक शाखाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रीमियम व घोषणा पत्र को बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर प्रत्येक बीमित कृषक के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि।	15 जनवरी के उपरांत 15 दिन के अन्दर	बैंक शाखाओं
5	वसुधा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषण करने की अंतिम तिथि।	15 जनवरी के उपरांत 48 घंटे के अन्दर	वसुधा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट
6	पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषकों के विवरण को स्वीकार/अस्वीकार करने की अंतिम तिथि।	बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि के पश्चात 15 दिन के अन्दर	बीमा कम्पनी
7	पोर्टल पर विसंगति/अपूर्ण विवरण, जैसा कि बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है, के निराकण की अंतिम तिथि।	बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर	बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द्र/बीमा एजेन्ट
8	बैंक शाखाओं/पैक्स/ वसुधा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा विसंगति का निराकण कर पोर्टल पर अपलोड किये गये विवरण को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने की अंतिम तिथि।	विसंगति विवरण प्रस्तुत करने के 07 दिन के अन्दर	बीमा कम्पनी
9	बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से संबंधित फॉलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर	बैंक शाखाओं/पैक्स/वसुधा केन्द्र/बीमा एजेन्ट
10	बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण	बीमा कवरेज की अंतिम तिथि के	बीमा कम्पनी

क्रम सं0	कार्यकलाप	रबी	कार्य की जिम्मेवारी
	को अंतिम रूप देने एवं बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण का पोर्टल पर स्वतः स्वीकृति (Auto approval) की अंतिम तिथि	उपरांत 60 कार्य दिवस के अन्दर	
11	राज्यांश की प्रथम मांग (गत मौसम की प्रगति के अनुरूप अनुमानित)	15 जनवरी तक	बीमा कम्पनी
	राज्यांश की द्वितीय मांग (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप)	पोर्टल पर स्वतः स्वीकृति (Auto approval) के 15 दिन के अन्दर	
	राज्यांश की अंतिम मांग (योजनान्तर्गत अवशेष समस्त मांग)	पोर्टल पर अंतिम प्रगति विवरण को अपलोड करने/विसंगतियों के निराकरण के पश्चात	
12	स्मार्टफोन/फसल कटाई एप्प के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा क्षेत्रीय कर्मिकों का पंजीकरण	31 जनवरी	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
13	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन करने हेतु अपने कर्मिकों के मोबाइल नंबर का पंजीकरण	31 जनवरी तक	बीमा कम्पनी
14	फसल कटाई प्रयोगों के नियोजन व प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथि के विवरण को पोर्टल पर अपलोड व पुष्टि किये जाने की अंतिम तिथि	फसल कटाई प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथियों के 07 दिन पूर्व तथा कार्यक्रम व तिथि में संशोधन की स्थिति में फसल कटाई प्रयोंगों हेतु निर्धारित तिथि के 01 दिन पूर्व पुष्टि की जायेगी।	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
15	फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन में विसंगति की ऑनलाईन सूचना प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात फसल कटाई एप्प के माध्यम से सूचित करने की निर्धारित समय सीमा	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात 02 घंटे के अन्दर	बीमा कम्पनी
16	फसलों की उपज के आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	फसल कटाई सम्पन्न होने की तिथि से 01 माह के अन्दर	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
17	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आंकड़ों में किसी भी विसंगति को सूचित करने की अंतिम तिथि	उपज दर आंकड़ें अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	बीमा कम्पनी
18	राज्य सरकार के संबंधित विभाग (राज्य/जिला स्तर) द्वारा उपज के आंकड़ों में बीमा कम्पनी की शिकायत का निस्तारण	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई शिकायत के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	राज्य सरकार
19	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आंकड़ों की स्वतः स्वीकृति (Auto approval)	उपज दर आंकड़ों के शिकायतों के निस्तारण के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	बीमा कम्पनी

क्रम सं0	कार्यकलाप	रबी	कार्य की जिम्मेवारी
20	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की स्वतः निर्धारण (Auto processing) तथा पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का ग्राम पंचायतवार व फसलवार विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि	उपज दर आंकड़ों के अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	राज्य सरकार/भारत सरकार
21	कृषकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अंतिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto approval) के 14 कार्य दिवस के अन्दर।	बीमा कम्पनी
22	क्षतिपूर्ति की धनराशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा कराने की अंतिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण (Auto approval) के 15 कार्य दिवस के अन्दर।	बीमा कम्पनी

16. इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषणः–

i. बैंक, पैक्स, वसुधा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर Payment gateway (Pay-gov) के माध्यम से प्रीमियम की राशि को अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को निर्धारित समय–सीमा में प्रेषित किया जायेगा। बीमा कम्पनियों का बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बैंक, पैक्स, वसुधा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा हेतु अलग से बैंक खाता खोलते हुए लेन–देन किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बैंकर्स चेक/डिमाण्ड डाफ्ट के माध्यम से राशि का प्रेषण अनुमन्य नहीं होगा।

ii. बीमा कम्पनियों को पोर्टल पर अधिसूचना सम्बन्धी विवरण व कृषक स्तर पर बीमा आच्छादन एवं बीमित कृषक के बैंक खाते के विवरण हेतु लॉगिन सुविधा प्रदान की जायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर आंकड़ों का सत्यापन, विसंगतियों का निराकरण, क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए सीधे कृषक के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रेषित किया जायेगा।

17. फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना –

i. राज्य सरकार द्वारा क्लस्टरवार बीमा कम्पनियों के चयन संबंधित निर्गत किए गए अधिसूचना के उपरांत बीमा कम्पनियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन संबंधी राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के पूर्ण विवरण को बीमा इकाई क्षेत्र के सेन्सस कोड मैपिंग के साथ विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल–www.pmfby.gov.in पर प्राथमिकता पर अपलोड किया जायेगा ताकि बैंक शाखाओं/पैक्स/बीमा

एजेन्ट/वसुधा केन्द्र/कृषक के स्वयं के द्वारा पोर्टल पर कृषकों को बीमा आच्छादन के संबंध में कार्रवाई निर्धारित समय–सीमा में सुनिश्चित करायी जा सके।

ii. भारत सरकार स्तर पर विकसित फसल बीमा पोर्टल के अतिरिक्त बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के विवरण को एकत्रित करने हेतु अन्य कोई प्रोफार्मा/पोर्टल अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

iii. फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमा इकाईवार (ग्रामपंचायत/जिलावार) फसलों की उपज का आंकलन कर निर्धारित समय–सीमा में फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

18. जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (District Level Monitoring Committee-DLMC) का गठन – जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नरूपेण जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (District Level Monitoring Committee-DLMC) का गठन किया जाता है :–

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर समाहर्त्ता	सदस्य
3.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य सचिव
4.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
5.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	सदस्य
6.	डी0 डी0 एम0, नाबार्ड	सदस्य
7.	अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक–सह–किसान प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य
9.	लीड बैंक प्रबंधक	सदस्य
10.	वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिग)	सदस्य
11.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
12.	कार्यभारित बीमा कम्पनी	सदस्य

उक्त समिति के अन्य कार्य निम्नरूपेण होंगे :–

i. जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।

ii. कार्यभारित बीमा कम्पनी द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता (IEC) गतिविधियों के संबंध में की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा एवं अनुश्रवण।

iii. प्रत्येक कृषक के फसल के क्षेत्र एवं मौसम की स्थिति की कीट एवं रोगों के प्रकोप, फसलों को हुए नुकसान के आकलन आदि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट संबंधित बीमा कम्पनी को समर्पित करेगी।

iv. लाभार्थियों के सत्यापन आदि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई।

v. फसलों के क्षेत्रफल में विसंगति, फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन तथा फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित आँकड़ों में विसंगति का निराकरण।

vi. क्षतिपूर्ति की राशि का बैंकों द्वारा कृषकों के खातों में समायोजन आदि की समीक्षा।

vii. प्रखण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन एवं कार्यकलापों/निर्णयों की समीक्षा एवं अनुश्रवण।

viii. जिला स्तर पर जिला स्तरीय संयुक्त समिति का गठन एवं समिति के निर्णय की समीक्षा।

ix. जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन।

x. अतिरिक्त जोखिम कवर को Add-on करने की स्थिति में SLCCCI को अनुशंसा संसूचित करना।

xi. समिति ऐसे कृषक जो किसान क्रेडिट कार्डधारी हो एवं फसल बीमा लेने के लिये इच्छुक हों का फसल बीमा कराया जाना सुनिश्चित करेगी तथा गैर ऋणी कृषकों की फसल बीमा में भागीदारी सुनिश्चित करायेगी ।

xii. उक्त समिति फसल कटाई प्रयोग सेटेलाइट छवि एवं ड्रोन के माध्यम से आँकड़े संधारण हेतु सभी संबंधितों को सुविधा प्रदान करते हुए निगरानी करेगी ।

समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर माह में दो बार आयोजित की जायेगी। साथ ही जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष DLMC की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता अपर समाहर्त्ता द्वारा की जाएगी।

19. जिला सहकारिता पदाधिकारी की भूमिका – जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी होंगे। वे DLMC की नियमित रूप से बैठक के आयोजन तथा DLMC के निर्णयों के अनुपालन हेतु जिम्मेवार होंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी के अन्य कार्य निम्नरूपेण होंगे :–

i. जिला स्तर पर उपलब्ध संचार के माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

ii. प्रखण्ड स्तरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड का प्रभारी करते हुए योजना का कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।

iii. बीमा नामांकन अवधि के दौरान बीमा आच्छादन की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।

iv. निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार योजना के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु योजना के अन्य पक्षकारों यथा–जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कार्यभारित बीमा कम्पनी, अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ समन्वय एवं सहयोग।

v. जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का तत्समय निराकण हेतु कार्रवाई करना।

vi. विभाग द्वारा सौपे गए अन्य सभी कार्य जो योजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, का कार्यान्वयन।

20. प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की भूमिका।

i. बैंक के माध्यम से योजना का प्रचार–प्रसार।

ii. सहकारी बैंक के शाखाओं के माध्यम से ऋणी, गैर ऋणी एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों का बीमा आच्छादन हेतु शाखा प्रबंधकों/पैक्सों को आवश्यक दिशा–निर्देश एवं क्षमता निर्माण करना।

iii. ऋणी किसानों के बीमा आच्छादन हेतु KCC का नवीकरण एवं वितरण सुनिश्चित करना।

iv. जिला स्तरीय सभी व्यवसायिक बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

v. DLMC की बैठक में नियमित रूप से भाग लेना एवं लिये गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

vi. विभाग द्वारा सौपे गए अन्य सभी कार्य जो योजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, का कार्यान्वयन।

21. शिकायत निवारण प्रणाली :–

i. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रखण्ड स्तर पर सभी आवश्यक संसाधनों के साथ जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (District Level Monitoring Committee-DLMC) द्वारा **प्रखण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति (BGRC)** का गठन

किया जाएगा जो सभी हितधारकों यथा– बीमित किसानों/बैंक/बीमा कम्पनी/संबंधित विभागों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करेगा। उक्त समिति के स्वरूप निम्नरूपेण होगा :–

(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) अंचलाधिकारी – सदस्य

(ग) प्रखण्ड कृषि/ उद्यान पदाधिकारी – सदस्य

(घ) प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी – सदस्य

(ड.) प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी – सदस्य–सह–सचिव

(च) अग्रणी बैंक एवं वसुधा केन्द्र के प्रतिनिधि – सदस्य

(छ) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि – सदस्य

(ज) कार्यभारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि – सदस्य

उक्त कमिटि द्वारा प्रखण्ड स्तर पर प्राप्त किसी भी शिकायत का शिकायत की तिथि के 7 दिनों के अंदर परिचालन दिशानिर्देशों / अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार शिकायत का निवारण किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो मामले को अपीलीय समिति जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (District Level Grievance Redressal Committee - DGRC) के समक्ष अपील कर सकता है।

ii. योजनान्तर्गत बीमित किसानों/बैंक/बीमा कम्पनी/संबंधित विभागों से प्राप्त शिकायतों का निवारण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नरूपेण **जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC- District Grievance Redressal Committee)** का गठन किया जाता है :–

(क) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) उप समाहर्त्ता (भूमि एवं राजस्व) – सदस्य

(ग) जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी – सदस्य

(घ) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी – सदस्य

(ड.) जिला सहकारिता पदाधिकारी – सदस्य–सह–सचिव

(च) अध्यक्ष–सह–किसान प्रतिनिधि, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक – सदस्य

(छ) प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक – सदस्य

(ज) जिला प्रबंधक, नाबार्ड – सदस्य

(झ) प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक – सदस्य

(ञ) जिला वसुधा केन्द्र के प्रतिनिधि – सदस्य

(ट) कार्यभारित बीमा कम्पनी – सदस्य

जिला शिकायत निवारण समिति के कार्य निम्नरूपेण होंगे :–

a. जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों का शिकायत की तिथि के 15 दिनों के अंदर परिचालन दिशानिर्देशों / अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार शिकायत का निवारण।

b. प्रखण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समिति (BGRC) द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध प्राप्त अपील पर निर्णय लेने अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी।

c. जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु एक नोडल पदाधिकारी को नामित करना जो शिकायतों के अभिलेखन एवं उसके प्रत्युत्तर के संबंध में जिम्मेवार होंगे।

d. उक्त समिति आवश्यकतानुसार जिला मौसम केन्द्र, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

e. समिति की बैठक प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर आयोजित की जाएगी।

iii. राज्य स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में निम्नरूपेण **राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SRGC)** का गठन किया जाता है :–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग – अध्यक्ष
(ख) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना – सदस्य–सह–सचिव
(ग) निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार – सदस्य
(घ) निदेशक, उद्यान निदेशालय, बिहार – सदस्य
(ड.) निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार – सदस्य
(च) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के प्रतिनिधि – सदस्य
(छ) वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि – सदस्य
(ज) योजना एवं विकास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि – सदस्य
(झ) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार – सदस्य
(ञ) राज्य संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार – सदस्य
(ट) अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि – सदस्य
(ठ) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, बिहार – सदस्य
(ड) राज्य प्रमुख, वसुधा केन्द्र– सदस्य
(ढ़) संबंधित बीमा कम्पनी – सदस्य

राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SRGC) के कार्य बिन्दु निम्नरूपेण होंगे :–

a. जिला शिकायत निवारण समिति द्वारा प्रेषित शिकायतों का निवारण।
b. जिला शिकायत निवारण समिति के लंबित मामलों की समीक्षा एवं शिकायतों का निवारण।
c. वैसे सभी मामले जिसका प्रभाव एक से अधिक जिलों से संबंधित है।
d. वैसे सभी मामले जिसका मूल्य 25 लाख से अधिक है।
e. किसी भी पक्षकारों द्वारा किए गए परिचालन निर्देशों/अधिसूचना का उल्लंघन संबंधी मामला।
f. उक्त समिति आवश्यकतानुसार राज्य मौसम केन्द्र, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

iv. **कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (KRPH)** :– भारत सरकार के स्तर पर केन्द्रीकृत एवं समर्पित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (टॉल–फ्री नं॰ 14447) अधिष्ठापित किया गया है जो किसानों के किसी भी प्रश्न का समाधान एवं शिकायतों के निवारण हेतु कार्य करेगी।

22. **योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता (IEC)** – बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जिलों में कुल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत धनराशि को योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता (IEC) संबंधी गतिविधियों में व्यय करते हुए ग्राम स्तर तक योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी:–

i. मौसम के प्रारम्भ में बीमा कम्पनी द्वारा बैंक कार्मिकों व वसुधा केन्द्रों के कार्मिकों को योजना के प्राविधानों एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

ii. बीमा कम्पनी द्वारा मौसम के प्रारंभ में राज्य एवं जिला स्तर पर फसल बीमा की कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा। कार्यशाला में सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, बैंकों तथा वसुधा केन्द्रों के संचालक, जनप्रतिनिधि, जागरूक कृषकों को आमंत्रित करते हुए उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के

प्रावधानों एवं कार्यान्वयन की समय–सीमा की जानकारी सम्बन्धित को सुलभ हो सके।

iii. बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से करने हेतु प्रचार–प्रसार के विविध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा। बैंक शाखाओं के स्तर पर बीमा कम्पनी का पूर्ण पता व अधिकारी का मोबाइल नम्बर, बीमा एजेण्ट का सम्पर्क विवरण, टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित की जायेगी।

iv. स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

v. प्रखण्ड स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ का कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय, दिन व स्थान आदि का बैंक शाखाओं/बीमा इकाई स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषक सुगमता से उनसे सम्पर्क कर सके।

23. अधिसूचना में अवर्णित नियम एवं शर्तें (Term and Conditions) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार द्वारा परिचालित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

अधिसूचना में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 11450 /पटना, दिनांकः– 28.10.2026

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 11450 /पटना, दिनांकः– 28.10.2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.X.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 11450 /पटना, दिनांकः– 28.10.2026

प्रतिलिपिः– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, आई॰एम॰डी॰, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग केन्द्र, तारामंडल, पटना/निदेशक, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार/राज्य संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.X.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 11450 /पटना, दिनांकः– 28.10.2026.

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं कार्यवाह सहायक को 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

28.X.26

सरकार के अपर सचिव।